



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..... जिला कलेक्टर..... मुकाम..... टोंक

..... कर्मचारी/द्वारा..... बगाम..... आनन्द कपूर

म मुकदमा..... शोधना पत्राख्या नं. 81..... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल जज	नम्बर य तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14 ⁸ / ₁₉	<p>पत्रकार संघ उपस्थित हैं। प्रार्थना - पत्र सम्मान-रक्षा दर्ज रजिस्ट्रार किया जावे। प्रार्थना - पत्र की प्रति देखन कर उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी के लक्ष्यक रिपोर्ट लख की जावे। लखी अप्रार्थना की जाकर पत्रावली दिनांक 29-8-2019 को भेजा है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	
29 ⁸ / ₁₉	<p>जिला अभिजापक संघ टोंक द्वारा राजपत्र अद्यतन के - प्रार्थना कर्मों का करिबना किया गया। रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट लख कर पत्रावली दिनांक 10-10-19 को भेजा है। अप्रार्थना संघ उपस्थित है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	 <p>R.P.S. Sharma</p>
10 ¹⁰ / ₁₉	<p>अभिजापक प्रार्थी उज्ज. उपखण्ड अधिकारी निवाड़ी के रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट लख कर पत्रावली दिनांक 12-12-2019 को भेजा है। P.O. संघ राजपत्र के माध्यम से पधार है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	
12 ¹² / ₁₉	<p>अभिजापक प्रार्थी उज्ज. रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थना अधिकारी रिपोर्ट लख कर पत्रावली दिनांक 20-2-20 को भेजा है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर टोंक</p>	 <p>रिपोर्ट उपर कर भेजना है।</p>

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

03-11-2020

मुकदमा नं. 61/2019 ज.प.न.सं.पानानतरण
करावीपान बनावत आवाज केंद्र

तारीख
हुक्म

20 $\frac{2}{2020}$

अभिभावक प्रार्थी उज०। उपखण्ड अधिकारी निवासी
के रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अभ्यासी सं. 1 की
ओर से जेठेका 2 राज उज०। अभ्यासी सं. 2
के नोटिस पेश होत पर तबी जाही की जाये
पररावली दिनांक 13-11-2020 को पेश हो। P.O.
सां० उज० राज कार्य में व्यक्त है।

12 $\frac{10}{2020}$

दिनांक 13-11-2020 को दिंड-19 वापरस सक्रमण के कारण
लोक डाउन होने से आज की तारीख पेशी नियत
किये जाने पर पररावली आज पेश हुई। तलखाना
नोटिस पेश होने पर तलवी अपील की जाकर
पररावली दिनांक 2-11-2020 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
बेंक

2 $\frac{11}{20}$

अभिभावक प्रार्थी उज०। स्थायिक आदेशों की
पालना नहीं की गई है। स्थायिक आदेशों की
पालना की जाकर पररावली दिनांक 9-11-2020
को पेश हो।

जिला कलेक्टर

9 $\frac{11}{20}$


अभिभावक प्रार्थी उज०। स्थायिक आदेशों की
पालना नहीं की गई है। स्थायिक आदेशों की
पालना की जाकर पररावली दिनांक 19-11-2020
को पेश हो। P.O. सां० उज० राज कार्य में व्यक्त
है।

19 $\frac{11}{2020}$

अभिभावक प्रार्थी उज०। अभिभावक द्वारा
जा० जज सानानतरण प्रस्तुत कर निवेदन
किया था कि हमें उपखण्ड अधिकारी निवासी
श्री J.P. बैरवा के चारकी उम्मीद नहीं
है। इस कारण उपखण्ड अधिकारी निवासी
के -सामालय से विचारधीन दावा सं. 143/12
मय जा० जज। सामानी निवेद्या सं. 141/20
अपानी आवाज केंद्र बनावत करणीपानाई अपके

तारीख हुक्म	मुकदमा नं. 61/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज डा. एन. स्मानान्तरण करणीदान बनाम उनात-4 कथर	निर्णय दिनांक 19-11-2020 नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	---

अल्प न्यायालय में अन्वेषण किया जाये।
 पुंजी हत्यालीन उपखण्ड अधिकायी निवासी
 श्री J.P. खैय्या का स्मानान्तरण हो गया
 है। उनके स्मानान्तरण पर कुरी कबी अन्वेषण
 पदस्थापित है। अन्वेषण को चलाने का
 कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-एक
 स्मानान्तरण अस्वीकार किया जायत हो।
 पत्रावली जैसात सुझाव होकर बाद एकीकृत
 जायत दाखिल पत्रावली की जाये।


 जिला कलेक्टर
 टोंक